भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1394

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

1394. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना से कितने एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं तथा एमएसएसई के लिए वित्त तक पहुंच को आसान बनाने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या केवल 20 प्रतिशत एमएसएमई ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया है और यदि हां, तो प्रौद्योगिकी उन्नयन की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्तमान वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ग) क्या 50 प्रतिशत एमएसएमई को बिजली की विश्वासविहीन आपूर्ति तथा खराब परिवहन जैसी अवसंरचना संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70 प्रतिशत एमएसएमई विपणन तथा बाजार पहुंच की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं और यदि हां, तो एमएसएमई हेतु डिजिटल विपणन रणनीतियां बनाने तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार की पहल क्या है; और

(ङ) क्या 65 प्रतिशत एमएसएमई कर अनुपालन तथा श्रम कानूनों के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कानूनों को सरल बनाने के लिए क्या सुधार किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा वित्त वर्ष 2000-01 से वित्त वर्ष 2024-25 (31.01.2025 तक) के लिए क्रियान्वित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 8.34 लाख करोड़ रुपए की कुल 1.04 करोड़ क्रेडिट गारंटी दी गई हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण और वित्तीय सहायता के निर्बाध प्रवाह के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कई योजनाएं शामिल हैं जैसे कि बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी देकर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संस्थागत ऋण (बैंक ऋण) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना, एमएसई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए सीजीएस, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण आदि।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय "एमएसई- सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए योजना (एसपीआईसीई)" और "एमएसई- परिवर्तन के लिए हरित निवेश वित्तपोषण (जीआईएफटी)" को लागू करता है। एमएसई- एसपीआईसीई योजना संसाधनों की कमी, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की रणनीतियों के माध्यम से एमएसएमई में संसाधनों के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करती है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रसंस्करण शामिल है और इस योजना का बजट परिव्यय वर्ष 2023-2026 तक 472.50 करोड़ रुपए है। एमएसई-जीआईएफटी योजना एमएसई को हरित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने में निवेश के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इस योजना का बजट परिव्यय वर्ष 2023-2026 तक 478 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजूदा टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों का लाभ ले सकते हैं।

(ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन की दृष्टि से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से आशोधित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की है। इसके अलावा, देश में औद्योगिक विकास के लिए सक्षम, समावेशी और व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे उपाय किए हैं।

(घ) : सरकार ने एमएसएमई की विपणन पहुंच को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय एमएसई की बाजार तक पहुंच में वृद्धि के लिए खरीद और विपणन सहायता योजना लागू करता है; एमएसएमई को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में सहभागिता की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना; एमएसएमई को डिजिटल उपकरणों और मार्गदर्शन के साथ सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन) ताकि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके; और पहली बार निर्यात करने वालों की क्षमता निर्माण के लिए नए एमएसई को प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सके।

(ङ) : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने देश में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल/नीतिगत उपाय किए हैं। 40 लाख रुपए तक की वस्तुओं की आपूर्ति और 20 लाख रुपए तक की सेवाओं की आपूर्ति के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं/रेस्तरां सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजिशन स्कीम, त्रैमासिक विवरण मासिक भुगतान योजना आदि।

*****